<table>
<tr>
<td>तारीख
हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 172/2025 (2025/394)
अनवान शम्भूसिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम</td>
<td>नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म
की तामील
में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>03-6-26</td>
<td>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 950 रकबा 2.2986 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 551 रकबा 2.3472 हेक्टर ग्राम लूणावास खारा तहसील झंवर जिला जोधपुर में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है। उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्रार्थी का जरिये जमाबन्दी खातेदार दर्ज करते समय अशुद्व नाम भवानीसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के नाम से लिपिकिय त्रृटि से एवं सहवन से दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम शम्भूसिंह पुत्र जसवंतसिंह है। जिसको शुद्व किया जाकर भंवानीसिंह के स्थान पर शंभूसिंह नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवम् बैंक पास बुक में एवं अन्य खसरो के जमाबन्दी दस्तावेजो में भी शंभूसिंह ही इन्द्राज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 950 रकबा 2.2986 हेक्टर एवं 551 रकबा 2.3472 हेक्टर ग्राम लूणावास खारा तहसील झंवर जिला जोधपुर में प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है। जिसके राजस्व रेकर्ड में शम्भूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह नाम इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार झंवर को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2026/61 दिनांक 9.3.2026 के जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 950 रकबा 2.2986 हैक्टेयर में खातेदारान नारायणसिंह पुत्र जसवंतसिंह हिस्सा 1/2, भवानीसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 551 रकबा 2.3472 हेक्टेयर में खातेदारान नारायणसिंह पुत्र जसवंतसिंह हिस्सा 1/4 भवानीसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 950 खातेदार बस्तीराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार से जरिये पंजीकृत बेचाननामा उप पंजीयक झंवर के यहा पु. सं. 1 जिल्द सं. 1 के पृष्ठ संख्या 87 क्र.स. 087 दिनांक 21.12.1999 के द्वारा क्रेता नारायणसिंह, भवानीसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत के द्वारा खरीदी गयी। जिसे जरिये नामांतकरण संख्या 687 दिनांक 09.01.2008 को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। एवं खसरा नं. 551 खातेदारान पोलाराम, ओमप्रकाश, सुरेश पुत्र पुरखाराम, समदा पत्नि पुरखराम कुल संयुक्त हिस्सा 1/2 को जरिये पंजीकृत बेचाननामा उप पंजीयक के पु. सं. 1 जिल्द सं. 9 के पृष्ठ संख्या 186 क्र.स. 167 दिनांक 20.03.2004 के द्वारा क्रेता नारायणसिंह, भवानीसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत के द्वारा खरीदी गयी। नामांतकरण संख्या 647 दिनांक 07.12.2004 को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। एवं पंजीकृत बेचाननामा तथा नामान्तरकण को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण में नाम संशोधन किया जाना उचित/संभव नही है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार झंवर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार पर बैचाननामा से खरीद की गयी भूमि में नाम संशोधन करवाना चाहता है। बेचाननामा एवं नामान्तरकरण को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी</td>
<td></td>
</tr>
</table>